हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 06.06.2023 को श्री रामस्वरूप पुत्र श्री केहर सिंह, ग्राम डाँडीवाला, डाकघर राजपुर, तहसील पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि. प्र.) की खसरा नंबर 1506/178/2 मौजा मोहाल भंगानी, तहसील पॉवटा साहिब , जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश 34-07 बीघा (2.90 हेक्टेयर) भूमि पर रेत, पत्थर व बजरी (क्षमता 65,250 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 06.06.2023 को श्री रामस्वरूप पुत्र श्री केहर सिंह, ग्राम डाँडीवाला, डाकघर राजपुर, तहसील पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि. प्र.) की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई भद्रकाली मंदिर परिसर भंगानी, नजदीक वन विभाग कार्यालय भंगानी, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। प्रस्तावित खनन पट्टा मौजा मोहाल भंगानी, खसरा नंबर 1506/178/2 और कुल खनन क्षेत्र 34-07 बीघा (2.90 हेक्टेयर) तहसील पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, पत्थर व बजरी खनन (क्षमता 65,250 टन प्रति वर्ष) हेतु, ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि अनुलग्नक-1 में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिपण्णी
1	श्री आत्मा राम शर्मा, निवासी ग्राम अर्दैन, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर ।	इन्होने कहा कि- यह प्रोजेक्ट मैन्युअल खनन का है जिसमे भारी मशीनों का उपयोग नही होगा, साथ ही लीज क्षेत्र प्रस्तावित स्टोन क्रशर से लगभग 3 -4 किलोमीटर की दूरी पर है अतः यहां प्रदुषण नही होगा। प्रोजेक्ट शुरू होने से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा व ट्रेक्टर ट्राली आदि भी किराय पर लगेगे। साथ लगते उत्तराखंड से अवैध रूप से वाहन इस क्षेत्र से खनिज चोरी करते है,	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि यह प्रोजेक्ट मैन्युअल खनन का है जिससे कोई प्रदूषण नही होगा व स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा।

		अतः इस लीज के होने से सरकार को भी कर लाभ होगा। हम इस लीज का समर्थन करते है।	
2	श्री अमरजीत सिंह भंगानी, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि मेरी यहां साथ लगती कृषि भूमि है। लीज होने से धूल मिट्टी उड़ेगी तो मेरे खेतो मे खड़ी फसल खराब होगी। यहाँ लीज के साथ वाले क्षेत्र मे एक मंदिर, दो गुरूद्वारे, एक स्कूल, सरकारी फार्म व नए बन रहे पुल को खतरा है। यहाँ क्रशर लगने से धूल मिट्टी उड़ेगी तो सभी प्रदूषण से प्रभावित होगे। इन्होने कहा कि यह भूमि रेवेन्यू विभाग के अनुसार भूमि किस्म नाकाबिल दर्ज है जिसका फायदा परियोजना प्रस्तावक उठा रहे है, परन्तु वास्तव मे यह भूमि कृषि भूमि है जिसकी किस्म को दुरुस्त करने के लिए रेवेन्यू विभाग मे मेरे द्वारा अर्जी पहले से ही दाखिल है (ज्ञापन कि प्रति व रेवेन्यू विभाग को दिए गए पत्र की प्रतिलिपि अनुलग्नक-2 मे संलग्न है)।	(i) परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि प्रस्तावित खनन लीज क्षेत्र से पुल की दूरी लगभग 380 मीटर है जो की मापदंड को पूरा करता है। खनन नदी तल पर होगा, वहाँ कोई खेती की जमीन नही है। जॉइंट इंस्पेक्शन कमिटी द्वारा मोके का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है जिसमे कोई आपत्ति दर्ज नही की गई है। (ii) श्री विष्णु भरद्वाज (पटवारी) भंगानी, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर। इन्होने कहा कि वर्तमान मे रेवेन्यू विभाग के अनुसार लीज क्षेत्र भूमि किस्म नाकाबिल दर्ज है, जोकि पूर्व मे बाढ़ आदि के कारण भूमि क्षय से हुआ है। वर्तमान मे किस्म को बदलने के आवेदन व कार्य अभी प्रक्रिया मे है।
3	श्री जोगिन्दर सिंह, निवासी भंगानी, पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि मेरी यहां साथ लगती कृषि भूमि है। लीज होने से धूल मिट्टी उड़ेगी तो मेरे खेतो मे खड़ी फसल खराब होगी।	
5	श्री कश्मीर सिंह, निवासी भंगानी, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि लीज क्षेत्र से प्रस्तावित क्रशर साइट तक माल ढुलाई के लिए कोई रस्ता नही है। जो रस्ता वर्तमान मे उपलब्ध है वह हमारी निजी भूमि से हो कर गुजरता है और उस रस्ते को हम उपयोग नही करने देगे।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे माल ढुलाई के लिए रस्ते का प्रावधान है। परियोजना प्रस्तावक पंचायत की मंजूरी से सरकारी भूमि या निजी भूमि मालिकों से रस्ते का प्रबंध करेगा। उपयुक्त रस्ते के बिना हमे

			पर्यावरणीय मंजूरी भी नही मिलेगी। **अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर:-** द्वारा तहसीलदार पॉवटा साहिब से इस सम्बन्ध मे रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए गए। (तहसीलदार पौंटा साहिब से रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो चुकी है जो कि अनुलग्नक-3 मे संलग्न है।)
6	श्री कमलजीत सिंह, निवासी भंगानी, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर ।	इन्होने कहा कि यहाँ लीज के साथ वाले क्षेत्र मे एक मंदिर, दो गुरूद्वारे, एक स्कूल व सरकारी फार्म भी है जो लीज क्षेत्र के बहुत पास है। स्कूल की दूरी 100 मीटर से भी कम है। यहाँ उपस्थित सभी किसानो कि जिनकी जमीन साथ लगती है, उनका विरोध है। पक्ष मे केवल वही लोग है जिनका इस पंचायत से कोई सम्बन्ध नही है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि स्कूल से दूरी 500 मीटर कि शर्त खनन लीज के लिए नही है अपितु यह शर्त स्टोन क्रशर के लिए है।
7	श्रीमती हरजिंदर कोर प्रधान, निवासी भंगानी, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि लीज क्षेत्र के साथ लगती भूमि पर खेतीबाड़ी तो हो रही है परन्तु इस परियोजना से स्थानीय लोगो रोजगार व ट्रैक्टर ट्रालियों को किराय पर भी रखा जायेगा। मैं स्थानीय जनता के साथ हूँ।	
8	श्री जोगिन्दर सिंह, निवासी भंगानी, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर ।	इन्होने कहा कि लीज से भूमि कटाव का खतरा है। पहले ही पुल निर्माण कर रही कंपनी द्वारा मेरी लगभग 12 बीघा भूमि पर कब्ज़ा किया जा चुका है जिसका मुझे अभी तक कोई मुवावजा नही मिला है।	
9	श्री राजीव कोहली, पूर्व उपप्रधान भंगानी, तहसील पॉवटा साहिब जिला	इन्होने कहा कि यदि अतिरिक्त उपायुक्त महोदय उपयुक्त समझे तो लीज क्षेत्र का मोके का मुआयना किया जाए ताकि पता लग सके कि वहाँ किस प्रकार की जमीन	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि लीज क्षेत्र की ड्रोन वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी जिसकी रिपोर्ट पर्यावरण विभाग शिमला को भेजी जाती है। यदि उन्हें यह भूमि कृषि

	सिरमौर।	हैं और किसान भाइयो का कोई नुकसान ना हो।	भूमि प्रतीत होती है तो वह पर्यावरण मंजूरी नही देते है। पर्यावरण मंजूरी देने वाले अधिकारी हमारे दवाब मे काम नही करते है अतः उनका निर्णय मान्य होना चाहिए।
10	श्री अमरजीत सिंह, निवासी भंगानी, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर ।	इन्होने अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से निवेदन किया कि एक बार मोके की जमीनो को देख ले।	अतिरिक्त उपायुक्त महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह मोके की भूमि को देख कर जायेगे।

....

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

12/7/23

अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)